प्रपत्र–2
परिशिष्ठ
राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म।
भाग –1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1.	परियोजना विवरण :–	
(i)	अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/ परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण	जनपद पौड़ी गढ़वाल में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 –1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लाक के पुलिण्डा –तच्छाली – स्यालिंगा मोटर मार्ग का नव निर्माण।(5.00कि0मी0)
(ii)	1:50000 स्कैल मैप पर वन भूमि और उसके आस –पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न पृष्ठ सं0
(iii)	परियोजना की लागत	रू0 60.80 लाख (प्रथम चरण)।
(iv)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	सिविल एवं वन पंचायत वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नही है।
(v)	लागत लाभ विशलेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	संलग्न
(vi)	रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है।	1. दैनिक श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। 2. कृषि के अन्तर्गत गांवों में उत्पादित फलों एवं खाद्यान को ग्रामीण, मण्डी/बाजार तक बेचने के लिए ले जाने में सुविधा मिलेगी। 3. डेरी उद्योग को बढावा मिलेगा। 4. पर्यटन सम्बन्धी रोजगार मिलेगा।
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण	उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि 1.080हे0सिविल वन भूमि शून्य हे0 एवं वन पंचायत भूमि 0.7875 हे0 अर्थात अर्थात कुल 1.8675 हे0 वन भूमि आपेक्षित है।
		आपेक्षित है।
	परियोजना के कारण लोगो को हटाने का विवरण यादि कोई है :–	कोई नही है।
(अ)	परिवारो की संख्या	
(ब)	अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारो की संख्या	लागू नही।
(स)	पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	
4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है। (हॉ/नही)	नही।

5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाके अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्वता	संलग्न हैं।
6.	निर्देर्शो के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों/ दस्तावेजों का व्यौरा।	संलग्न है।

अधिशासी अभियन्ता
नि0खण्ड,लो0नि0वि0,
दुगड्डा, गढ़वाल।

तिथि :–
स्थान :– कार्यालय नि0खण्ड,लो0नि0वि0 दुगड्डा (गढ़वाल)

प्रस्ताव की राज्य कम सं0.....
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

प्रपत्र–2.1

भाग –II

(संबन्धित उपवन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं0.....

परियोजना /स्कीम का स्थान :–		जनपद पौड़ी गढ़वाल में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 –1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लाक के पुलिण्डा –तच्छाली – स्यालिंगा मोटर मार्ग का नव निर्माण।(5.00कि0मी0)
(i)	राज्य/संघशासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड।
(ii)	जिला	पौड़ी गढ़वाल।
(iii)	वन प्रभाग	लैन्सडौन प्रभाग,कोटद्वार (गढ़वाल)
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे0 में)।	1.8675 हे0
(v)	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन भूमि –1.080हे0 सिविल वन भूमि –शून्य हे0 वन पंचायत भूमि –0.7875 हे0 कुल आपेक्षित वन भूमि –1.8675 हे0
(vi)	हरियाली का घनत्व	————
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना(संलग्न की जाएं)सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बध के एफ0आर0एल0 7मीटर पर परिगणना भी संलग्न किये जाए।	संलग्न सूची के अनुसार विभिन्न व्यास वर्ग के विभिन्न प्रजाति के 118 पेड़ प्रभावित होगें।
(viii)	भूसंरक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	प्रस्तावित स्थल की आरक्षित वन सीमा से दूरी लगभग ..... किमी0 है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उघान,वन्यजीव अभ्यारण्य,जैव मण्डल रिर्जव,वाघ रिर्जव,हाथी,कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हां,क्षेत्र का ब्यौरा दें और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयॉ अनुबंधित की जाए)	नही।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/ सकंटापन्न/विशिष्टियां प्रजातियां पाई जाती है यदि हां/तो तत्संबन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ,यदि अपेक्षित हो,दे।	नही।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र मे स्थित है।यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्रधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नही।

8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम –2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही, तो जांचे गये विकल्पो के ब्यौरो के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	अपरिहार्य और न्यूनतम है। प्रमाण–पत्र संलग्न है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन मे कोई कार्य किया गया है (हां/नही) यदि हां,तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे क्या उल्लघंन संबधी कार्य अभी भी चल रहा है। –	नही।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा :–	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र,आस– पास के वन से इसकी दूरी, भू– खण्डों की संख्या प्रत्येक भू–खण्ड का आकार। –	कुल आपेक्षित वन भूमि 1.8675 हे0 है। 3.735 हे0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाना है। संलग्न है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/ अवकमित वन क्षेत्र और आस–पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप। –	संलग्न है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक नवीनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। –	संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण के स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। –	संलग्न है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता।–	संलग्न है।
	के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन– संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।	
11.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त– कालम–7 (xi,xii),8 और 9 मे पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करे)	
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र –	
(ii)	जिले का वन क्षेत्र। –	
(iii)	ममलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र। –	
(iv)	1980 से जिला/प्रयोग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण।	
	(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि। –	
	(ख) वनेत्तर भूमि पर.....तक –	

(v) प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति
(क) वनभूमि पर –
(ख) वनेत्तर भूमि पर

13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। – जनहित में संस्तुति की जाती है।

दिनांक .....
स्थान.....

हस्ताक्षर

प्रपत्र–2.2

भाग –III

(संबन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहॉ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संम्बन्धि वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नही) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग –ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

दिनांक .....
स्थान .....

हस्ताक्षर

प्रपत्र–2.3

भाग –4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17 टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्देशित सिफारिष। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुपष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाएं)

तिथि :– .....
स्थान .....

हस्ताक्षर

प्रपत्र–2.4

भाग –5

(इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारियों जो अवर सचिव के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।)

18. राज्य सरकार की सिफारिश।
(उपर्युक्त भाग – ख या भाग – ग या भाग – घ में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

तिथि :– ..... हस्ताक्षर
स्थान .....